महिला विनोद कुमारी

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

(एसएलपी (आपराधिक) संख्या 4950-4951, 2008)

11 जुलाई 2008

[डॉ. अरिजीत पसायत और पी. सथविवम, जे.जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: एस.एस. 340 और 344/ दंड संहिता, 1960: धारा 376

मिथ्या साक्ष्य-याचिकाकर्ता ने बलात्कार करने के लिए दो व्यक्तियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई-जांच के दौरान दिए गए बयान से मुकरना-आरोपी व्यक्तियों को मुकदमे से बरी करते हुए अदालत ने संहिता की धारा 344 के संदर्भ में अभियोक्त्री के खिलाफ संज्ञान लेने को निर्देश दिया-याचिकाकर्ता द्वारा अपराध स्वीकार करना -विचारण न्यायालय ने अभियोक्त्री को झूठी गवाही को अपराध करने को दोषी पाया, उसे 3 महीने के लिए कारावास की सजा सुनाई गई- उच्च न्यायालय ने अपील खारिज कर दी-सही माना-सही धारा 344 दण्ड प्रक्रिया संहिता को उद्देश्य झूठी गवाही देने और साक्ष्य गढ़ने की बुराई को खत्म करना है-यहां तक कि धारा 340 (1) दण्ड प्रक्रिया संहिता को सहारा भी अदालतों द्वारा लिया जा सकता है यदि वे 344 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत ऐसे गवाह के खिलाफ कार्यवाही करने में विफल रहते हैं। तथ्यों में और मामले की परिस्थितियों के आधार पर विचारण न्यायालय ने धारा 344 दण्ड प्रक्रिया संहिता के संदर्भ में अभियोक्त्री के खिलाफ सही कार्यवाही की है-हस्तक्षेप की आवश्यकता से नीचे के न्यायालयों के आदेश में कोई कमी नहीं पाई गई।

धारा 344-झूठी गवाही/झूठे साक्ष्य गढ़ने को अपराध करने के लिए गवाहों के खिलाफ कार्यवाही करने की अदालतों की शक्ति पर चर्चा की गई।

याचिकाकर्ता ने थाने में दो लोगों के खिलाफ उसके साथ एक के बाद एक दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोपी व्यक्तियों को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 376(2)के तहत दंडनीय अपराध के कथित कृत्य के लिए मुकदमे को सामना करना पड़ा। मुकदमे के दौरान, याचिकाकर्ता ने कहा कि वास्तव में उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ था। चूंकि वह अनुसंधान के दौरान दिए गए बयान से मुकर गई, इसलिए उसे अभियोजन पक्ष द्वारा जिरह की अनुमति दी गई। यहां तक कि उन्होंने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने और पुलिस को कोई बयान देने से भी इनकोर कर दिया. विचारण न्यायालय ने आरोपी व्यक्तियों को बरी करते हुए पाया कि याचिकाकर्ता ने झूठे सबूत पेश किए थे और आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ इस इरादे से सबूत गढ़े थे कि ऐसे सबूतों को इस्तेमाल कार्यवाही में किया जाएगा, और इसलिए, धारा 344 के संदर्भ में अपराध को संज्ञान लेने को निर्देश दिया। उसके खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की कार्यवाही की जाएगी। कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। उसने अपना अपराध स्वीकार करते हुए जवाब दाखिल किया। विचारण न्यायालय ने उसे तीन महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई। याचिकाकर्ता द्वारा इसके खिलाफ दायर अपील को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। अतः वर्तमान विशेष अनुमति याचिको।

कोर्ट ने याचिको खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया:

1. कानून में यह स्थापित स्थिति है कि जहां तक यौन अपराधों को सवाल है, पीड़िता के बयान से पवित्रता जुड़ी हुई है। न्यायालय ने, कई मामलों में, यह माना है कि यदि अभियोजन पक्ष को साक्ष्य विश्वसनीय, ठोस और विश्वसनीय पाया जाता है,

तो दोषसिद्धि के लिए अकेले अभियोजन पक्ष को साक्ष्य पर्याप्त है। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर, दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें मुकदमे को सामना करना पड़ा और बलात्कार जैसे गंभीर अपराध में शामिल होने की बदनामी झेलनी पड़ी। हो सकता है कि उनके बरी होने से कुछ हद तक कलंक धुल गया हो, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। [पैरा 6] [873-एफ,जी एवं एच; 874-ए]

2.1. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 344 को अधिनियमित करने को उद्देश्य ऐसा प्रतीत होता है कि यह अधिक गंभीर मामलों से निपटने के लिए न्यायालय को एक हथियार से लैस कर रहा है, न कि पहले से ही उसके कब्जे में मौजूद हथियार को छीनने के लिए। प्रावधान को लागू करने के पीछे विधायिको को उद्देश्य यह है कि झूठी गवाही देने और साक्ष्य गढ़ने की बुराई को खत्म किया जाए और इसे अब बेहतर तरीके से हासिल किया जा सकता है क्योंकि यह अदालतों के लिए खुला है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 340(1) को सहारा ले सकता है। जिन मामलों में वे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 344 के तहत कार्यवाही करने में विफल रहे हैं। [पैरा 6) [874-ए,बी और सी]

2.2. संहिता की धारा 344 के तहत शक्तियों को प्रयोग करने के लिए न्यायालय को निर्णय या अंतिम आदेश सुनाते समय सबसे पहले इस आशय की राय व्यक्त करनी चाहिए कि उसके समक्ष गवाह ने या तो जानबूझकर झूठे साक्ष्य दिए हैं या ऐसे साक्ष्य गढ़े हैं। दूसरी शर्त यह है कि न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि न्याय के हित में संबंधित गवाह को उस अपराध के लिए संक्षेप में दंडित किया जाना चाहिए जो गवाह द्वारा किया गया प्रतीत होता है और तीसरी शर्त यह है कि सजा के लिए संक्षिप्त सुनवाई शुरू करने से पहले गवाह को यह बताने को उचित अवसर दिया जाना चाहिए कि उसे इतनी सजा क्यों नहीं दी जानी चाहिए। ये सभी शर्तें

अनिवार्य हैं. प्रावधान को उद्देश्य झूठी गवाही की बुराई से संक्षेप में निपटना है। [पैरा 8 और 9] [875-ई,एफ,जी और एच]

नारायणस्वामी बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1971) 2 एससीसी 182-पर भरोसा किया गया।

2.3. झूठी गवाही की बुराई ने मौखिक साक्ष्य के आधार पर मामलों में खतरनाक रूप धारण कर लिया है और इस खतरे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अदालतों के लिए यह वांछनीय है कि वे इस प्रावधान को वर्तमान की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से और बार-बार उपयोग करें। [पैरा 10] [876-ए]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकोर: अपील की विशेष अनुमति के लिए 2008 की याचिका (आपराधिक) संख्या 4950-4951

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर खंडपीठ के निर्णय एवं अंतिम आदेश दिनांक 30.11.2007 से सी.और.एल. 2002 की अपील संख्या 173

अपीलकर्ता की ओर से सूर्यनारायण सिंह और प्रगति नीखरा। न्यायालय को निर्णय सुनाया गया

डॉ अरिजीत पसायत, जे.

01. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को सुना।

02. विलम्ब क्षमा किया गया।

03. हालांकि हम विशेष अनुमति याचिकोओं पर विचार करने के इच्छुक नहीं है लेकिन हम पाते हैं कि दुर्भावनापूर्ण तरीके से कानून को लागू, करने के लिए की जाने वाली कार्यवाही पर विचार व्यक्त करने की आवश्यकता है।

04. याचिकाकर्ता ने पिछोर पुलिस स्टेशन में दो व्यक्तियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई कि 28.01.1993 को सुबह 6.00 से 7.00 बजे के बीच उन लोगों ने उसे रोक लिया और घसीटा और उसके साथ एक के बाद एक बलात्कार किया। उसने दावा किया कि उसने घटना अपने पिता और चाचा को बताई और उसके बाद पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपार्ट के आधार पर मामले में अनुसंधान किया गया। अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपपत्र दाखिल किया गया, आरोपी व्यक्तियों को भारतीय दण्ड संहिता 1860 (संक्षेप में आईपीसी की धारा 376(2) (जी) के तहत दंण्डनीय अपराध के कथित कृत्य के लिए मुकदमें को सामना करना पड़ा।) अभियुक्तों ने अपना अपराध शपथपूवर्क त्याग दिया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि वास्तव में उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ था। चूंकि वह अनुसंधान के दौरान दिए गए बयान से मुकर गई, इसलिए उसे अभियोजन पक्ष द्वारा जिरह की अनुमति दी गई। यहां तक कि उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी- 1) दर्ज कराने और पुलिस को कोई भी बयान देने से भी इन्कार कर दिया (प्रदर्श पी-2)। याचिकाकर्ता के बयान के मददेनजर दिनांक 28.11.2001 के फैसले द्वारा दोनों आरोपियों को बरी कर दिया गया। विचारण न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता ने झूठे सबूत पेश किए थे और आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ इस इरादे से सबूत गढ़े थे कि ऐसे सबूतों को इस्तेमाल कार्यवाही में किया जाएगा और इसलिए धारा 344 के संदर्भ में संज्ञान लेने को निर्देश दिया। याचिकाकर्ता के खिलाफ दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (संक्षेप में संहिता) की कोर्रवाई की जाएगी। कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और याचिकाकर्ता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया जिसने इस आशय को जवाब दाखिल किया कि एक अनपढ़ महिला होने के नाते उसने गलती की है और उसे माफ किया जा सकता है। विचारण न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है कि उसने आरोपी के खिलाफ बलात्कार की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तदनुसार, उसे तीन

महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई। आदेश से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की जिसे आक्षेपित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया।

05. उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क यह था कि एक अनपढ महिला होने के कारण वह कानून को नहीं समझती है और अपराध को विवरण उसे नहीं समझाया गया है। इसलिए अपील की अनुमति दी जानी चाहिए। इसको राज्य द्वारा विरोध किया गया आधार यह है कि याचिकाकर्ता ने विचारण न्यायालय के समक्ष अपना अपराध स्वीकार कर लिया था और इसलिए दोषसिद्ध अच्छी तरह से स्थापित है। उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के रिकोर्ड को अवलोकन किया और पाया कि कारण बताओं जवाब में उसने स्वीकार किया या कि उसने पूरे समय झूठ बोला था। यह रूख कि अपराध के विवरण उसे नहीं समझाये गये थे। समान रूप से अस्थिर पाया गया क्योंकि जारी किये गये कारण बताओ नोटिस में प्रासांगिक विवरण दिये गये थे प्रथम सूचना रिपोर्ट और पुलिस द्वारा दर्ज किये बयान में उसने स्पष्ट रूप से कहा था कि आरोपी व्यक्तियों द्वारा उसके साथ बलात्कार किया गया था लेकिन अदालत में उसने ऐसा कहने से इन्कार कर दिया। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अदालत ने पन्द्रह दिन के साधारण कारावास की सजा दी जो कठोर है लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष यह इंगित करते हुए प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय के समक्ष यह गलत कथन किया है कि वह पहले ही पन्द्रह दिन को कारावास भुगत चुकी है। जो उच्च न्यायालय पर सजा कम करने को वजन बनाये।

06. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने कहा कि कम उम्र की लड़की होने के कारण उसकी माँ और चाचा ने उस पर दबाव डाला था झूठी रिपोर्ट दो। यह मुकदमे के दौरान अदालत में दिए गए इस बयान से भिन्न है कि उसने पुलिस को कुछ भी रिपोर्ट नहीं किया था। कानून में यह स्थापित स्थिति है कि जहां तक यौन अपराधों को सवाल

है पीड़िता के बयान से पवित्रता जुड़ी हुई है। इस न्यायालय ने कई मामलों में यह माना है कि यदि अभियोजन पक्ष को साक्ष्य, विश्वसनीय, ठोस और विश्वसनीय पाया जाता है तो दोषसिद्धि के लिए अकेले ही पर्याप्त है। वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें मुकदमे को सामना करना पड़ा और बलात्कार जैसे गंभीर अपराध में शामिल होने की बदनामी झेलनी पड़ी। हो सकता है कि उनके बरी होने से कुछ हद तक कलंक धुल गया हो, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। धारा 344 को अधिनियमित करने के उद्देश्य सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता, 1998 की धारा 470-ए (इसके बाद इसे पुरानी संहिता के रूप में संदर्भित किया गया है) के अनुरूप अधिक गंभीर मामलों से निपटने के लिए न्यायालय को एक हथियार प्रदान किया गया है, न कि पहले से मौजूद हथियार को छीनने के लिए। इसको कब्जा प्रावधान को लागू करने में अंतर्निहित विधायिको को उद्देश्य यह है कि झूठी गवाही और साक्ष्य गढ़ने की बुराई को खत्म करना होगा और इसे अब बेहतर तरीके से हासिल किया जा सकता है, क्योंकि यह अदालतों के लिए धारा 340 (1) (धारा के अनुरूप) को सहारा लेने के लिए खुला है (पुरानी संहिता की धारा 476) ऐसे मामलों में जिनमें वे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 344 के तहत कार्यवाही करने में विफल रहे हैं।

07॰ यह धारा पुरानी धारा 479 ए के स्थान पर उसी न्यायालय द्वारा झूठी गवाही को दंडित करने के लिए एक अतिरिक्त वैकल्पिक प्रक्रिया पेश करती है जिसके समक्ष यह किया गया जिसको झूठी गवाही की बुराइयों को खत्म करने के लिए वांछित प्रभाव नहीं था। इस नए प्रावधान की मुख्य विशेषताएं है-

(1) दो निर्दिष्ट न्यायालयों अर्थात् सत्र न्यायालय और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं, ताकि वे मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज करने के बजाय किसी गवाह द्वारा की गई झूठी गवाही के अपराध को संज्ञान ले सकें और

सारांश परीक्षण की प्रक्रिया को पालन करके अपराधी को दंडित करने को प्रयास करे। सारांश परीक्षण के लिए देखें 21।

(2) इस शक्ति को प्रयोग न्यायालय द्वारा मामले पर विचार करने के बाद निर्णय या अंतिम आदेश देने के समय ही किया जाना है।

(3) अपराधी को दंडित करने से पहले कारण बताने को उचित अक्सर दिया जाएगा।

(4) अधिकतम सजा 3 महीने की कैद या 500 रूपये तक को जुर्माना या दोनों हो सकती है।

(5) न्यायालय को आदेश अपील योग्य है (धारा 351 के तहत) ।

(6) इस खंड की प्रक्रिया धारा 340-343 के तहत एक विकल्प हैं न्यायालय को इस धारा के तहत संक्षेप में दंडित करने के लिए आगे बढ़ने या धारा 340 के तहत शिकायत के माध्यम से सामान्य प्रक्रिया को सहारा लेने को विकल्प दिया गया है। उदाहरण के लिए जहां न्यायालय की राय है कि की गई झूठी गवाही से जटिल प्रश्न उठने की संभावना है या इस धारा के तहत अनुमति से अधिक गंभीर सजा को हकदार है या मामला अन्यथा ऐसी प्रकृति को है या कुछ कोरणों से ऐसा माना जाता है मामले को सामान्य प्रक्रिया के तहत निपटाया जाना चाहिए जो अधिक उपयुक्त होगा, न्यायालय ऐसा करने को विकल्प चुन सकता है [उपधारा (3) के तहत] |

(7) इस धारा के तहत शुरू किय एम किसी भी मुकदमे की आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी जाएगी और इस प्रकोर लगाई गई किसी भी सजा को तब तक निष्पादित नहीं किया जाएगा जब तक कि मुख्य कार्यवाही में निर्णय या आदेश के खिलाफ अपील या पुनरीक्षण को निपटारा न हो जाए, जिसमें गवाह ने झूठी गवाही दी हो या झूठे साक्ष्य गढे उपधारा (3) के तहत।

08. धारा के तहत शक्तियों को प्रयोग करने के लिए न्यायालय की निर्णय या अंतिम आदेश सुनाते समय सबसे पहले इस आशय की राय व्यक्त करनी चाहिए कि उसके समक्ष गवाह ने या तो जानबूझकर गलत साक्ष्य दिया है या ऐसे साक्ष्य गढ़े हैं। दूसरी शर्त यह है कि न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि न्याय के हित में संबंधित गवाह को उस अपराध के लिए संक्षेप में दंडित किया जाना चाहिए जो गवाह द्वारा किया गया प्रतीत होता है और तीसरी शर्त यह है कि सजा के लिए संक्षिप्त सुनवाई शुरू करने से पहले गवाह को यह कारण बताने को उचित अवसर दिया जाना चाहिए कि उसे इतनी सजा क्यों नहीं दी जानी चाहिए। ये सभी शर्तें अनिवार्य हैं। [नारायणस्वामी बनाम महाराष्ट्र राज्य देखे. (1971) 2 एससीसी 182] |

09. प्रावधान को उद्देश्य दुष्ट झूठी गवाही से संक्षेप में निपटना है।

10. झूठी गवाह की बुराई मौखिक साक्ष्य के आधार पर मामलों में खतरनाक रूप ले चुकी हैं और इस खतरे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अदालतों के लिए यह वांछनीय है कि वे वर्तमान की तुलना में इस प्रावधान को अधिक प्रभावी ढंग से और बार-बार उपयोग करें।

11. मौजूदा मामले में अदालत ने सही कोर्रवाई की है और हमें विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता के लिए कुछ भी कमजोर नहीं मिला है। तदनुसार, विशेष अनुमति याचिकाएं खारिज की जाती है।

एस.के.एस.

विशेष अनुमति याचिकाएं खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी रेखा रानी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।